कार्यालय महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी)– द्वितीय,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

प्रत्रांक: सामा0प्रशा0(मु0)/51 दिनांक: 20.04.2018

प्रेषित

....

....

....

इस कार्यालय में प्रयोग होने वाली खराब/टूटी आलमारियों की मरम्मत व पेन्टिग हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं। दरें बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर "**आलमारी की मरम्मत हेतु**" लिखा हुआ हो दि0 10.05.2018 (अपरान्ह 3.00 बजे) तक उप–महालेखाकार (निर्माण), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी)– द्वितीय, उ. प्र., इलाहाबाद के कक्ष में रखे टेडर बाक्स में डालने का कष्ट करें। बन्द लिफाफे उसी दिन 3.30 बजे उप महालेखाकार (निर्माण) के समक्ष खोले जायेंगे।

क्रम	कार्य का नाम	कार्य		दर (रु0 मे)
1	ताला	प्रति ताला		
2	हैण्डिल	प्रति हैण्डिल		
3	चकरी	प्रति चकरी		
4	पल्ले की मरम्मत	प्रति पल्ला		
5	शेल्फ की मरम्मत	प्रति शेल्फ		
6	सरिया एंव जनता प्लेट	प्रति पीस		
7	पावे की मरम्मत	प्रति पावा		
8	डेन्टिगं			
	(अ) एफ पल्ले की	प्रति पल्ला		
	(ब)आधे पल्ले की	प्रति आधा पल्ला		
	(स) आलमारी का अन्य कोई भाग	स्पष्ट रुप से उल्लेख करे।		
9	आलमारी की पेन्टिंग (बाहर–बाहर) पुराने पेन्ट हटाकर प्राइमर सहित	प्रति आलमारी	बड़ी	
			छोटी	
10	22 गेज के सेल्फ(आवश्यकतानुसार) का मूल्य	एक सेल्फ		

नियम एंव शर्तें

1. मरम्मत संम्बन्धी सभी कार्य कार्यालय में ही करने होगें।
2. किये गये कार्य की कम से कम 6 माह की गारण्टी देनी होगी।
3. कार्य का भुगतान कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही देय होगा, आधे/अधूरे कार्य हेतु भुगतान नही किया जायेगा।
4. क. सं. 01से 10 तक के सभी कार्यो हेतु दरें अंकित करना अनिवार्य हैं। सभी कार्यों के लिए दरें अंकित न करने की दशा में उस निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

5. 01से 10 तक सभी कार्यों के लिए अंकित दरों के योग को आधार मानकर न्यूनतम दर दाता (L1) का निर्धारण किया जायेगा।
6. निविदा के साथ रु0–5,000/ का बैक ड्राफ्ट प्रति भूति राशि के रुप में जमा करना होगा। बैक ड्रफ्ट 'वेतन एंव लेखाधिकारी' कार्यालय महालेखाकार (लेखा0एंव हकदारी)–प्रथम इलाहाबाद के पक्ष मे देय होगा बिना प्रति भूति राशि के प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
7. निविदा के साथ पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति या बैक की पास बुक की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं।
8. लिये जाने वाले लेबर चार्च पर नियामनुसार आयकर की कटौती करने के पश्चात ही ई–भुगतान किया जायेगा। इस हेतु पैन की छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं।
9. सफल निविदादाता को निष्पादन गारंटी (performance Guarantee) के रुप मे रु. 5000/– (रु. पाँच हजार मात्र) की सुरक्षित जमा धनराशि एफ.डी.आर के रुप में जो वेतन एंव लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी)– प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद के पक्ष में देय हो जमा करनी होगी।
10. निविदा या निविदा का कोई भाग बिना किसी पूर्व सूचना के उप महालेखाकार (प्रशासन) के आदेश से किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं।विवाद की स्थिति मे उ0म0ले0/प्रशा0 का निर्णय सर्वमान्य होगा।
11. असफल निविदादाताओं के द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि रु0 5,000/सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत करने के पश्चात ही वापस की जायेगी।

(सुरेश चन्द्र जोशी)

लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन (मुख्य)